

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(4)गृह-1/2021

जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2016-17 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री लोकेश सोनवाल के विरुद्ध एसीबी प्रकरण संख्या 04/13 दर्ज होकर मा0 न्यायालय में चालान पेश होने एवं मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लोकेश सोनवाल की पदोन्नति पर विचार किया जाकर अभिशंषा को सीलड कवर में रखा गया है।

श्री लोकेश सोनवाल के विरुद्ध विचाराधीन उक्त प्रकरण में मा0 न्यायालय न्यायाधीश, डेजिगनेटेड कोर्ट, अजमेर ने निर्णय दिनांक 30.07.2024 द्वारा दिनांक 30.07.2024 को निर्णय पारित कर आरोपित सभी अपराध के लिए संदेह के लाभ में दोषमुक्त किया है। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2016-17 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सीलड कवर में किये गये श्री लोकेश सोनवाल की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री लोकेश सोनवाल को राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल के पद पर वर्ष 2016-17 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा (एस.सी.) के नीचे एवं श्री गणपति महावर (एस.सी.) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री लोकेश सोनवाल, आरपीएस अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री सोनवाल, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी माफत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

RajKaj Ref  
9530909

